ब्रज क्षेत्र में 100 मीटर ऊंची कृष्ण प्रतिमा लगेगी

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में सुविधायें बढ़ेंगी, धार्मिक संस्थाओं के लिये टाउनशिप बनेगी

जयपुर, 15 अक्टूबर। राजस्थान में आने वाले ब्रज क्षेत्र का कायाकल्प करके यहां वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया भरतपुर दौरे के दौरान, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने और ब्रज के पारम्परिक स्थापत्य के अनुसार धार्मिक नगरी के विकास को लेकर विस्तृत प्रैज़ैन्टेशन दिया गया।

■ **टाउनशिप में वैदिक विश्वविद्यालय, वॉटर फ्रंट डवलपमैंट, ग्रीन बैल्ट डवलपमैंट, कृष्ण लीलाओं से संबंधित थियेटर, गौशाला, बस स्टैण्ड व पार्किंग की सुविधाओं का विकास किया जायेगा।**

भरतपुर में एक बैठक के दौरान, आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट में भगवान श्रीकृष्ण की 100 मीटर ऊंची विराट मूर्ति का निर्माण, 84 कोस परिक्रमा मार्ग का विकास तथा धार्मिक संस्थाओं के लिए एक नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। राजस्थान के गोवर्धन परिक्रमा के क्षेत्र में वैदिक विश्वविद्यालय, वॉटर फ्रंट डवलपमेंट, ग्रीन बैल्ट डवलपमेंट, कृष्ण लीलाओं से संबंधित थियेटर, गौशाला तथा यात्रियों के लिए बस टर्मिनल एवं पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

एक धार्मिक नगरी के रूप में विकसित होने जा रहा यह प्रोजेक्ट इको-रिलिजस टूरिज़्म की बेहतरीन मिसाल बनेगा, जिसमें पर्यटकों को आइमैक्स थियेटर, भव्य फाउण्टेन शो भी देखने को मिलेगा। परिक्रमा के पैदल यात्री मार्ग को चौड़ा करने के साथ-साथ मार्ग के दोनों ओर की इमारतों का ब्रज हेरिटेज के अनुसार फसाड डवलपमैंट भी किया जाएगा। राज्य सरकार, अप्सरा कुंड और नवल कुंड के मूल वैभव को पुनः लौटाने के साथ-साथ प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर और नृसिंह अवतार मंदिर का भी पारपंरिक स्थापत्य कला के अनुसार सौंदर्यीकरण करेगी। पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल इस परियोजना में नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। परियोजना पूरी होने से राजस्थान के ब्रज क्षेत्र में भी देशी-विदेशी श्रद्धालुओं की आवक में भारी बढ़ोतरी होने का अनुमान है, जिसके कारण बढ़ने वाली आर्थिक गतिविधियों का फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा।

राजस्थान के बृज क्षेत्र में विकसित होने वाली पर्यटन नगरी में गोवर्धनधारी श्रीकृष्ण की 100 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आर्किटैक्ट अनुप बरतरिया ने पर्यटन नगरी के प्रैज़ैन्टेशन के दौरान श्रीकृष्ण की वह तस्वीर प्रदर्शित की जिसके आधार पर विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी।

पंजाब में पंचायत चुनावों के लिए पंद्रह अक्टूबर को मतदान हुआ

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में चल रहे ग्राम पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से, मंगलवार को इनकार कर दिया और कहा कि मतदान के दिन (15 अक्टूबर) चुनाव पर रोक लगाने से अराजकता पैदा हो जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव रोकने से संबंधित कोई अंतरिम आदेश पारित कराने से इनकार किया, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने लोकतंत्र में चुनावों के महत्व को रेखांकित किया और कहा, अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाना शुरू कर दें तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव मंगलवार सुबह आठ बजे से (15 अक्टूबर) चल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव रद्द करने की मांग वाली लगभग 1,000 याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

■ **सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने कहा, मतदान के दिन चुनाव रोकने का आदेश देने से अराजकता पैदा हो सकती है।**

कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में मांगी अगली रिपोर्ट

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले की जांच बेहद गंभीरता से चल रही है। सी.बी.आई. का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष एजेंसी की पांचवीं स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी संजय रॉय के खिलाफ 7 अक्टूबर को चार्जशीट दायर की गई थी और सियालदह की कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट से पता चला कि एजेंसी अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इसलिए कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर एक और स्थिति रिपोर्ट मांगी है। चिकित्सा पेशेवर की सुरक्षा और सुरक्षा पर सिफारिशें करने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्य बल के मुद्दे पर, शीर्ष अदालत ने कहा कि सितंबर के पहले सप्ताह के बाद से इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। इसलिए, शीर्ष अदालत ने केन्द्र को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया कि काम एक उचित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए।

■ **सुप्रीम कोर्ट ने मैडिकल प्रैक्टिश्नर्स की सुरक्षा पर गठित नैशनल टास्क फोर्स के सम्बंध में केन्द्र सरकार को समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया।**

■ **नैशनल टास्क फोर्स की सितम्बर के पहले सप्ताह के बाद से एक भी बैठक नहीं हुई है।**

■ **सुप्रीम कोर्ट ने प. बंगाल राज्य सरकार से सिविक वॉलंटियर्स की भर्ती प्रक्रिया का विवरण मांगा।**

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल टास्क फोर्स की बैठकें समय-समय पर होनी चाहिए और सभी उप समूहों को नियमित बैठकें करनी चाहिए। इसके साथ ही केन्द्र को राष्ट्रीय कार्य बल (एन.टी.एफ.) के काम को तेज कराने का निर्देश दिया है। एन.टी.एफ. को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सिफारिशें करने के लिए गठित किया गया था। अदालत ने कहा कि एन.टी.एफ. सितंबर के पहले सप्ताह से नहीं मिला है और केन्द्र को तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें पूरी करने के लिए कहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और शौचालय और अलग विश्राम कक्ष बनाने में हुई प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अक्टूबर तक ये काम पूरा करने का निर्देश दिया। मृत महिला डॉक्टर के माता-पिता के वकील ने आरोप लगाया कि अपराध करने वाले सिविक वॉलंटियर आर.जी. कर अस्पताल में तैनात पुलिस से जुड़े हुए थे और पुलिस बैरक में रह रहे थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दावे का जोरदार विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सिविक वॉलंटियरों की भर्ती प्रक्रिया का विवरण देने को कहा।

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि वह अपनी रातिरे साथी योजना के लिए जिन 1,500 से अधिक नागरिक स्वयंसेवकों की भर्ती कर रही है, कि अगले आदेश तक इन व्यक्तियों को अस्पतालों या किसी ड्यूटी और स्कूलों में तैनात न किया जाए।

तबादलों पर कोर्ट स्टे का डर

जोधपुर, 15 अक्टूबर (कासं)। राजस्थान में सरकारी विभागों में किए तबादलों पर कोई कर्मचारी-अधिकारी कोर्ट से स्टे न ले, इसके लिए सरकार अब कैविएट दायर कर रही है। दो दिन पहले नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम) में किए अधिकारियों के तबादलों के मामले में ऐसा देखने को मिला है। सरकार ने जयपुर, जोधपुर हाईकोर्ट बैंच और राजस्थान सिविल सर्विसेज अपील ट्रिब्यूनल (रेट) की जयपुर-जोधपुर ब्रांच में कैविएट दायर करते हुए इन पर बहस के लिए अतिरिक्त अधिवक्ताओं और वकीलों को नियुक्त किया है।

दरअसल, स्वायत्त शासन निदेशालय ने 13 अक्टूबर की देर शाम एक आदेश जारी करते हुए जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज समेत प्रदेश की अन्य नगरीय निकायों से 155 अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने अब इन ट्रांसफर पर कोर्ट से स्टे आने की संभावना को देखते हुए कैविएट लगाई है, ताकि अगर कोई अधिकारी इन ट्रांसफर पर रोक के लिए याचिका लगाता है तो उस पर कोई भी निर्णय करने से पहले कोर्ट सरकार का पक्ष सुन सके।

■ **सरकार ने चार अलग-अलग कोर्ट में कैविएट लगाई ताकि कोई कर्मचारी या अधिकारी तबादले पर कोर्ट से स्टे न हासिल कर ले।**

राज्य सरकार ने नगर पालिका सेवा के 155 अधिकारियों के तबादलों के मामले में हाईकोर्ट और राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में केविएट पेश की है। इन अधिकारियों की ओर से अपने तबादले को चुनौती देने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके चलते अब आर.एम.एस. सेवा के ये अधिकारी अदालत से एक पक्षीय स्टे नहीं ले पाएंगे। यदि इनमें से कोई अधिकारी तबादले पर रोक के लिए अदालत में याचिका पेश करेगा तो अदालत राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना मामले में निर्णय नहीं करेगी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्यपीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार, हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता गुरुचरण सिंह गिल को अधिकृत किया है। इसी तरह सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के लिए अधिवक्ता राजेन्द्र दाधीच और विष्णु दयाल शर्मा को पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है।

हम अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान में निवेश करने और समृद्ध भविष्य के निर्माण के हमारे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं।

जर्मनी, जो वैज्ञानिक नवाचारों, तकनीकी कौशल, समृद्धि और विकास का एक शक्तिशाली प्रतीक है, के साथ हम अपनी मजबूत साझेदारी स्थापित करना चाहते हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक कंपनियों के लिए एक सप्लाई चेन डेस्टिनेशन के रूप में देखा जा रहा है और अपनी सक्रिय और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण, राजस्थान भारत में इन कंपनियों का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है।

जर्मनी के निवेशकों को राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि जर्मनी, जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है, राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर सकता है।

म्यूनिख में आयोजित इस इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान सरकार ने एल्बैट्रॉस प्रोजेक्ट्स, फ्लिक्सबस, पार्टेक्स एनवी, वेउली टेक्निक्स जी.एम.बी.एच., और इंगो श्मिट्ज जैसी कई बड़ी जर्मन कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए।

ये कंपनियां रक्षा, मोबिलिटी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), ऑटोमोबाइल और कौशल विकास क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में काम करती हैं।

मुख्यमंत्री के साथ जर्मनी में मौजूद उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान जर्मनी के साथ तकनीक और अन्य प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए उत्सुक है।

इन्वेस्टर रोड शो में राजस्थान के अंदर मौजूद व्यावसायिक अवसरों के बारे में एक प्रेजेंटेशन देते हुए उद्योग विभाग व ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन के आयुक्त रोहित गुप्ता ने कहा, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, और सिंगापुर के निवेशक प्रदेश में कारोबार करने के इच्छुक हैं।

निवेशक रोड शो के अलावा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने कई प्रमुख जर्मन कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

जर्मनी की पैकेजिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनी मल्टीवैक सेप हैगनमुलर एस.ई. एंड कंपनी के.जी. के साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान कंपनी के अधिकारियों ने राजस्थान में अपने कारोबार के विस्तार में रुचि दिखाई।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं और विकास के अवसरों को प्रदर्शित करने और जर्मनी के हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट क्षेत्रों के निवेशकों को राज्य में पर्यटन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए आमंत्रण देने हेतु विशेष रूप से आयोजित 'राइजिंग राजस्थान' टूरिज्म मीट में भी भाग लिया।

'नौकरी दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से एक आन्दोलन की शुरुआत की।

उन्होंने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर एक प्रैस कॉन्फ्रैंस को सम्बोधित करते हुये कहा कि यह आन्दोलन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पहुँचेगा। उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया, जिसमें सरकार पर सर्वाधिक बेरोजगारी तथा युवाओं को ड्रग्स का आदी बनाने के लिये ड्रग आयात करने का आरोप लगाया है।

चिब ने कहा कि इस आन्दोलन का उद्देश्य युवाओं में उन ड्रग्स के बारे में जागरुकता पैदा करना है, जो गहरी नींद लाने के लिये सरकार द्वारा सप्लाई की जा रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में यह झूठा डर पैदा किया जा रहा है कि हिन्दू धर्म संकट में है। युवाओं तथा सरकार द्वारा आयातित ड्रग्स की लत का मुकाबला कर रहे लोगों के लिये असली संकट तो बेरोजगारी है।

गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह बरार का कड़ी सुरक्षा में मैडिकल चैकअप

गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह बरार लॉरेंस विश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य है

अजमेर, 15 अक्टूबर (कासं)। लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मंगलवार को पुलिस जे.एल.एन. अस्पताल लेकर पहुंची, चिकित्सकों ने बराड़ का चेकअप किया। चेकअप के बाद पुलिस बराड़ को लेकर हाई सिक्यूरिटी जेल पहुंची, जहां बराड़ को जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर की चौमूं पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान में दिनदहाड़े पिस्टल के दम पर हुई डकैती के मामले में विक्रम बराड़ को पंजाब से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से विक्रम बराड़ हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जल्द ही विक्रम सिंह बराड़ को वापस पंजाब जेल में शिफ्ट किया जाएगा।

■ **अजमेर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में जिले के जे.एल.एन. अस्पताल में उसकी मैडिकल जाँच करवाई। बरार अभी हाई सिक्यूरिटी जेल में बंद है।**

■ **जयपुर पुलिस ने चौमूं में एक जूलरी शॉप पर दिन दहाड़े हुई डकैती के मामले में बरार को पंजाब से गिरफ्तार किया था।**

■ **बरार छात्र जीवन से ही लॉरेंस विश्नोई के साथ है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी वो मुख्य षड़यंत्रकारियों में से एक बताया जाता है।**

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही, विक्रम बराड़ का संबंध भी राजस्थान से है। बराड़ हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला है। स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ गया था, वहां उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके बाद वह स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से हुई। लॉरेंस भी छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहता था। बस यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और विक्रम बराड़ लॉरेंस का एकदम खास बन गया।

गैंगस्टर विक्रम बराड़ राजस्थान और पंजाब पुलिस के लिए तो पहले से ही सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन साल 2022 में वो देश भर की सुरक्षा जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। 29 मई 2022 को पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया। उसकी हत्या के पीछे लॉरेंस विश्नोई गैंग थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि मर्डर की प्लानिंग में दुबई में बैठा विक्रम बराड़ भी शामिल था। वो वहां से जेल में बैठे लॉरेंस विश्नोई, कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और शूटर्स के बीच कम्यूनिकेशन कंट्रोल सेंटर चला रहा था। पुलिस ने बराड़ को दुबई से गिरफ्तार किया था।

पुलिस लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्रम बराड़ को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच जे.एल.एन. अस्पताल में चेकअप कराने लाई।

'रेवड़ी कल्चर को रिश्वत घोषित किया जाए या नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार व चुनाव आयोग से जवाब मांगा

नई दिल्ला, 15 अक्टूबर। चुनावों में मुफ्त के वादों को रिश्वत घोषित करने मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त देने के वादे को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग ऐसे वादों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए।

कोर्ट में दायरयाचिका में कहा गया है कि चुनाव से कुछ समय पूर्व राजनीतिक दल मुफ्त में कई सुविधाओं को देने का वादा करते हैं। ऐसे वादों को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाइ. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और लंबित मामलों के साथ याचिका को भी टैग किया।

कर्नाटक निवासी शशांक जे श्रीधर की तरफ से दायर जनहित याचिका में राजनीतिक दलों को चुनाव पूर्व अवधि के दौरान मुफ्त के वादे करने से रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की गई है। वकील विश्वादित्य शर्मा और बालाजी श्रीनिवासन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मुफ्त का अनियमित वादा सरकारी खजाने पर बेहिसाब वित्तीय बोझ डालता है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत रिश्वत की पेशकश के जरिए वोट देने के लिए प्रेरित करने का भ्रष्ट आचरण बनता है।

कोलकाता में अनशन पर बैठी जूनियर डॉक्टर तनया अस्पताल में भर्ती

कोलकाता, 15 अक्टूबर। पश्चिम बंगाल के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को दुष्कर्म एवं हत्या की शिकार हुई महिला डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर यहां अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों में से एक तनया पांजा पांच अक्टूबर से लगातार भूखे रहने के कारण शौचालय में गिर गयीं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पांच अक्टूबर से अनशन के कारण कमजोर हो चुकी तनया को सोमवार रात गिरने और बेहोश होने के बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब क्रिटिकल केयर यूनिट (सी.सी.यू.) में मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। एक डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।

सूत्रों के अनुसार, अब तक पांच जूनियर डॉक्टर, जिनमें से चार कोलकाता में और एक उत्तर बंगाल के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। वर्तमान में, कोलकाता में पांच जूनियर डॉक्टर और एक उत्तर बंगाल में अपने साथी के लिए न्याय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कार्यक्रम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। हालांकि एम.वी.ए. की सारी उम्मीदें हालिया लोकसभा चुनावों में इसके बेहतर प्रदर्शन पर आधारित हैं।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा-शिव सेना और कांग्रेस व एन.सी.पी. का राज्य स्तरीय गठबंधन राष्ट्र स्तर पर भी चुनाव लड़ा। इन चुनावों में एन.डी.ए. की सीटों की संख्या में 43 की वृद्धि हुई थी और यू.पी.ए. की सीटें 5 कम हो गई थी। विधानसभा स्तर पर भाजपा ने 122 सीटों पर व शिव सेना ने 105 सीटों पर बढ़त प्राप्त की थी और उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था।

पर एन.डी.ए. तथा यू.पी.ए. ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा तो खंडित जनादेश मिला। भाजपा को 25.75 प्रतिशत वोट के साथ 105 सीटें मिलीं। शिव सेना को 16.41 प्रतिशत वोट के साथ 56 सीटें, एन.सी.पी. को 16.71 प्रतिशत वोट के साथ 54 सीटें व कांग्रेस को 15.87 प्रतिशत वोट के साथ 44 सीटें मिली थीं। छोटे दलों व निर्दलियों के खाते में शेष 29 सीटें आई थीं।

खंडित जनादेश की स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावे को लेकर भाजपा और शिव सेना गठबंधन टूट गया। राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया।

कुछ दिन बाद, अजीत पवार के नेतृत्व में शरद पवार की एन.सी.पी. के एक गुट की मदद से भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल की अनुमति से आधी रात को देवेन्द्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री पद की और अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन जब उन्हें लगा कि जल्दबाजी में बना गठबंधन सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

गतिरोध तब खत्म हुआ, जब शिव सेना, कांग्रेस व एन.सी.पी. ने मिलकर एम.वी.ए. गठबंधन बनाया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने।

एम.वी.ए. गठबंधन ज्यादा नहीं चला। जून 2022 में शिव सेना नेता एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हो गए। उन्होंने ठाकरे के एम.वी.ए. बनाने पर नाराजगी जताई। उस समय चर्चा जोरों पर थी कि केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने शिव सेना में दलबदल करवाकर सरकार गिराई है। फड़नवीस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग के बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आनन-फानन में फ्लोर टैस्ट का आदेश दे डाला। ठाकरे ने इसे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी, पर सफलता नहीं मिली और विधानसभा में विश्वास मत से पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

इसके शीघ्र बाद ही, शिंदे की सेना तथा भाजपा ने मिलकर "महायुति" सरकार बनाई तथा शिंदे मुख्यमंत्री बने।

सेना के दोनों गुटों के बीच का संघर्ष अदालतों में तब तक चलता रहा, जब तक विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस साल के शुरु में पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित कर दिये। इसके कारण, ठाकरे अपने गुट का नाम शिव सेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) रखने को बाध्य हो गये। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शक्ति-परीक्षण कराने का आदेश देने का राज्यपाल का आदेश गैरकानूनी था तथा अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने शक्ति-परीक्षण से पहले इस्तीफा नहीं दिया होता तो यह ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार की बहाली का आधार बनता। जुलाई, 2023 में एक अन्य पार्टी के विघटन के कारण राज्य में फिर से राजनैतिक हलचल पैदा हो गई। इस बार अजीत पवार, 40 विधायकों को साथ लेकर एन.सी.पी. से अलग हो गये तथा भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल हो गये और गठबंधन सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गये। अजीत पवार की अपने चाचा तथा एन.सी.पी. प्रमुख शरद पवार के साथ लम्बे समय से अनबन चल रही थी।

शिव सेना के टूटने की तरह ही, अजीत गुट के अलग हो जाने से एन.सी.पी. के नाम तथा चुनाव चिन्ह को लेकर संघर्ष शुरु हो गया। चुनाव आयोग ने इस साल के शुरु में अजीत के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। इसके फलस्वरुप, शरद पवार के गुट का नया नाम एन.सी.पी. (शरद चन्द्र पवार) रख लिया गया।

हाल ही के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन को झटका लगा था। भाजपा जिन 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से केवल 9 सीट ही जीत पाई जबकि 2019 में उसे 23 सीटें मिली थीं। शिव सेना (शिंदे) को 15 में से 7 तथा एन.सी.पी. (अजीत पवार) को 4 में से एक ही सीट मिली थी।।

महायुति को लगे इस आघात के पीछे के कारणों में शामिल हैं- कृषि संकट, मराठा-विद्रोह तथा आरक्षण पर कथित खतरे को लेकर दलित वोट का छिटक जाना।

एम.वी.ए. को कुल मिलाकर 30 सीटें मिलीं। कांग्रेस 17 में से 13 सीट जीतकर गठबंधन में सबसे आगे रही। शिव सेना (यू.बी.टी.) को 21 में से 9 तथा एन.सी.पी. (एस.पी.) को 10 में से 8 सीटों पर विजय मिली।

लेकिन झारखंड में, भाजपा की स्थिति महाराष्ट्र की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है।

भाजपा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए चार नेताओं को नियुक्त किया है। पार्टी के सांसद डॉ. के.लक्ष्मण राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे। लक्ष्मण के सहयोग के लिए पार्टी सांसद नरेश बंसल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा तथा पार्टी सांसद एवं प्रवक्ता संबित पात्रा को सह पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908